अध्याय II

शोध से संबंधित साहित्य

2.1 भूमिका

2.2 पूर्व शोधकार्य का आकलन

2.2.1 एम.एड. छात्रों द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य

2.2.3 पाठ्यपुस्तक, जर्नल एवं सामायिक

अध्याय II

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 भूमिका :

सत्त मानव प्रयासों से भूतकाल में एकत्रित ज्ञान का लाभ अनुसंधान में मिलता हैं। अनुसंधायक द्वारा प्रस्तावित अध्ययन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबंधित समस्याओं से कार्य पर बिना जोडे स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य नहीं हो सकता। साहित्य का पुनरावलोकन व प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। तो हमारे लिए उससे संबंधित साहित्य का अवलोकन एक अनिवार्य और प्रारंभिक कदम होता है।

सर्वेक्षण न करने से जो अनुसंधान कार्य पहले अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा वह पुनः किया जा सकता है। ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को ज्ञान हो या ज्ञान की वर्तमान सीमा कहा है पर वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान आगे बढ़ाया जा सकता है। पूर्व अनुसंधानों के अध्ययन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है।

2.2 पूर्व शोधकार्य का आकलन :

प्रस्तुत अध्याय में ''समाज में लिंग–भेद के आधार पर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से संबंधित पूर्व किये गये शोध कार्यो को संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन के रूप में लिया गया है। जो निम्न प्रकार से है।

D - 262

2.2.1 एम.एड़ छात्रों द्वारा किया गया अनुसंधान :-

1. तेजप्रीत कौर (1996)

" शहरी युवाओं की नज़र में माता-पिता द्वारा चुनी गई अनुशासन पद्धति का मान्य सामाजिक व्यैक्तिक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन"

निष्कर्ष :

"लुधियाना शहर" के संदर्भ शीर्षक के अन्तर्गत अपना शोधकार्य किया अध्ययन द्वारा सिद्ध पाया गया कि -

- परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार बच्चों के माता-पिता द्वारा अपनाई गई अनुशासन की पद्धति और मान्य सामाजिक व्यैक्तिक कारकों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- बच्चों के जन्मक्रम के अनुसार बच्चों के माता-पिता द्वारा अपनाई गई अनुशासन की पद्धति और मान्य सामाजिक व्यैक्तिक कारकों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- परिवार के अनुसार बच्चों के माता-पिता द्वारा अपनाई गई अनुशासन की पद्धति और मान्य सामाजिक व्यैक्तिक कारकों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- माता-पिता की शिक्षा के अनुसार बच्चों के माता-पिता द्वारा अपनाई गई अनुशासन की पद्धति और मान्य सामाजिक व्यैक्तिक कारकों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

2. **राजेन्द्र शुक्ला : (1997–98)**

" महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव पूर्ण मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करना।"

निष्कर्ष :

"बिलासपुर" के संदर्भ शीर्षक के अन्तर्गत अपना शोधकार्य किया अध्ययन द्वारा यह सिद्ध पाया गया कि –

- समाज में फैली भेदभावपूर्ण मान्यताओं का बालिकाओं की अभिवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव वर्तमान में भी परिलक्षित है।
- शिक्षित परिवारों की तुलना में अशिक्षित परिवारों में इनका प्रभाव अधिक स्पष्ट प्रदर्शित हुआ।
- शिक्षित एवं समाज के उच्च वर्ग में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण मान्यताओं में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। अर्थात् विचारों में कुछ परिवर्तन आया है।
- एस सी 1 एस ही एवं पिछड़ी जातियों में आज भी ये मान्यताएँ अधिक मान्य एवं प्रचलित है।

3. **ए.डी. भूमिरया (1998–99)**

"दाहोद व्यक्ति की प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के जेण्डर के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन"

निष्कर्ष –

- पुरूष और स्त्री शिक्षकों के बीच जातियता के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया। स्त्री शिक्षकों से पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक पायी गई।

- ग्रामीण और शहरी शिक्षकों के जातियता के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया। शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति ग्रामीण शिक्षकों से सकारात्मक दृष्टि से पायी गई।
- उच्च शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों से अधिक पायी गई।
- कम आयु वाले शिक्षकों की अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों से अधिक पायी गई।

4. सुकन्यादास और रेहाना घडियाली :

" अभिभावकों को बच्चों की जातिय भूमिका की समज और रूठिबद्धता का अध्ययन"

निष्कर्ष :–

- आधुनिक (Modern) अभिभावकों का बच्चों के प्रति व्यवहार और अभिवृत्ति में समानता पाई गई।
- रूठिबद्ध अभिभावकों का बच्चों के प्रति व्यवहार में जातिय रूठिबद्धता पाई गई।
- अभिभावकों की आधुनिकता रूठिबद्ध जातियता का विरोध करती है और बच्चों के प्रति जातियता पक्षपात में कटोती करता है।

5 जागृति राय : (1998)

"1990 से 1998 तक उड़िसा के कटक जिले के जगत सिगपुर ब्लाक की कक्षा 5 से 10 की लड़कियों को शाला छोड़े दने की समस्या के कारणों का अध्ययन"

निष्कर्ष :

"उड़िसा के कटक जिले के जगतसिंगपुर ब्लाक" में शीर्षक के अन्तगत लघुशोध कार्य किया गया।

- अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला f की अधिकतर अभिभावक लड़कियों की शादी कम आयु में करना पसंद करते हैं।
- अधिकत्तर लड़कियों का कहना था कि उनके पास झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना छोटे बच्चों की देखभाल करना, खाना पकाना खेतों में काम करना, पानी लाना, गोबरलाना आदि कार्य रूठिबद्ध तरीके से उनके ऊपर धोय दिये गये है।

6. कु. सुषमा मिश्रा (1992)

''अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक बालिका विद्यालयों में विद्यमान सुविधाओं का छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव''

निष्कर्ष :–

''भोपाल नगर'' के संदर्भ शीर्षक के अन्तर्गत अपना शोध कार्य किया अध्ययन द्वारा यह सिद्ध पाया गया कि विद्यालयीन शिक्षा में अल्पसंख्यक मुस्लिम बालिकाएं बहुसंख्यक हिन्दु बालिकाओं की तुलना में कम शिक्षा के अवसर का प्रयोग करती है। तथा शैक्षिक उपलब्धि भी बहुसंख्यक बालिकाओं की अपेक्षा कम है।

7. कु. राखी सरकार (1993)

''अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक – आर्थिक स्थर का प्रभाव''

निष्कर्ष :

''भोपाल नगर'' के संदर्भ शीर्षक के अन्तर्गत लघुशोध कार्य किया अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् अल्पसंख्यकएवं बहुसंख्यक छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि

को सामाजिक आर्थिक स्तर एवं घर का वातावरण व विशेष रूप से प्रभावित करते है।

8. शेख नसरीन रेहमान (1994)

"शैक्षिक विकल्प का चयन और अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन"

निष्कर्ष :

"इन्दौर जिले" में शीर्षक के अन्तर्गत लघुशोध कार्य किया गया। अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि –

- शैक्षिक विकल्प का स्वचयन करने में अस्वीकृत बच्चे और स्वीकृत बच्चों में सार्थक अभिरूचि नहीं पाई गयी।
- स्वीकृत और अस्वीकृत लड़कों में शैक्षिक विकल्प का स्वचयन करने में अंतर पाया गया मगर लड़कियों में किसी तरह का अंतर नहीं पाया गया।
- स्वीकृत लड़कियों ने पहली पसंद आर्दश विषय को दी है, तथा अस्वीकृत लड़कियों ने फाईन आर्दश विषय में कम अभिरूचि दिखाई। तकनीकी को स्वीकृत लड़कियों ने दूसरी पसंद दी है और एग्रीकल्चर समाज विज्ञान और वाणिज्य में कम अभिरूची दिखाई है। अस्वीकृत लड़कियों की ज्यादा पसंद वाणिज्य एग्रीकल्चर और गृहशास्त्र विषय में पाई गयी, मगर विज्ञान में कम पायी गई।

2.2.2 पाठ्यपुस्तक जनरल एवं सामायिक :–

1. इंगली एवं कार्ली (1981)

प्राचिन अध्ययनो का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि उस अध्ययनो में निर्णय या अभिमत व्यक्त करने के लिए जिन संकृत्यों

उपयोग किया जाना था। वे संकुत्य पुरूषों के लिये जाने पहचाने थे। और उनके सम्बन्ध में पुरूषों को अधिक तथ्यों की जानकारी थी। जबकि महिला प्रयोज्यों के लिये वे संकृत्य न और अपरिचित थे। इस प्रकार महिलाओं में अधिक समरूपता के परिणाम लिंग भेद के कारण नहीं अपितु संकृत्य के संबन्ध में विभेदनीय परिचय के कारण उत्पन्न हुआ।

2. कियनिस – (1984)

अध्ययन में संकृत्यों का उपयोग किया गया जिसके बारे में महिला अधिक और पुरूष कम जानकारी रखते थे तो समूह प्रभाव के कारण पुरूषों में अधिक और महिलाओं में कम समरूपता पाई गई।

यहाँ पर रूचिकर प्रश्न यह उठता है कि यदि पुरूषों और महिलाओं में सामाजिक प्रभाव के प्रति समरूपता प्रतिक्रिया के आधार पर अन्तर नहीं है, तो इस धारणा या विश्वास की उत्पत्ति कैसे हुई कि महिलाऐं पुरूषों की तुलना में सामाजिक प्रभाव के प्रति समरूपता की प्रतिक्रियाऐं अधिक मात्रा में करती है।

3. वेरन एवं बायर्न – (1988)

ने लिखा है कि इस अवधारणा की जड़ में महिलओं के बारे में एक और अवधारणा निहित है। जिसके अनुसार महिलाओं की सामाजिक संस्थिति (Status) पुरूषों की तुलना में निम्नतर होती है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि निम्नतर संस्थिति के लोग उच्चतर संस्थिति वाले लोगों के समूह में अधिक समरूपता का व्यवहार करते हैं। इस निष्कर्ष को इन्द्रियानुभविक रीति से सत्यापित करने का प्रयास किया गया है।

4. इंगली एवं वुड – (1982)

ने एक अध्ययन में लिखा है कि प्रयोजनों के समूह को कहानी पढ़ने को दी जिसमें एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। प्रभाव अभिकर्ता पुरूष और प्रभाव लक्षित महिला कर्मचारी थी। दूसरे प्रयोज्य समूह के लिये अभिकर्ता महिला और लक्षित व्यक्ति पुरूष कहानी के पात्र थे। आधी कहानियों इन कर्मचारियों की पदस्थिति का उल्लेख था। किन्तु आदि कहानियों में नहीं। इस प्रयोग में पुरूष और महिला प्रयोज्यों ने भाग लिया। कहानी पढ़ने के बाद प्रयोज्यों को यह बताना था कि लक्षित व्यक्ति किस अंश तक अभिकर्ता के प्रभावित करने के प्रयास स्वरूप प्रभावित होगा। परिकल्पना यह थी की जिन दशाओं में कर्मचारियों की पदस्थिति का उल्लेख नहीं था। उनमें लक्ष्ति व्यक्ति के महिला होने पर अधिक मात्रा में प्रभावित होना बताया जायेगा। ऐसे इसीलिए होगा कि प्रयोज्य महिला को निम्नतर संस्थिति का मान लेगें। किन्तु कहांनी में पद का उल्लेख होने पर ऐसा नहीं होगा और महिलाओं और पुरूष के प्रभावित होने के अनुमान में कोई अंतर नहीं उत्पन्न होगा। परिणामों की अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई। लिंग भेद के आधार पर समरूपता में विभेदनियता अब भी विवादास्पद है। और ऐसे विवादों के मूल में रूढ़ियुक्तियों और पूर्व गृह का अतिपत्य है।